प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 345/22 दिनांक 02/9/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... समय .....
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 21.07.2022 समय लगभग 5.30 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.07.2022 समय 3.15 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण –पश्चिम दिशा, लगभग 300 किलोमीटर
(2) पता – पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाडा
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री गिरीराज पंवार
(2) पिता का नाम : अजयकुमार जी
(3) आयु : 45 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : सरकारी अध्यापक
(7) पता : निवासी :– मंगरोप जिला भीलवाड़ा।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नानुराम जाट निवासी ढाणी कालेरान थाना बिदासर जिला चुरू हाल कान्सटेबल नम्बर 215 पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	1500 रूपये	आरोपी द्वारा परिवादी से उसके विरूद्ध दर्ज परिवाद में आपसी राजीनामा व समझौता कराने के एवज में 4000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग सत्यापन के दौरान 1500/रूपये लेना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1500 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

वाकियात मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21–07–22 को परिवादी श्री गिरीराज पंवार पिता श्री अजय कुमार निवासी मंगरोप जिला भीलवाडा ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ के समक्ष एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि " दिनांक 16.07.2022 को हुए आपसी विवाद के मामले को जो कि थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था उसे दिनांक 17.07.2022 को आपसी रजामन्दी से पुनः सुलझा लिया गया ओर आपस में सुलह ओर शान्ति हो गयी। इस बाबत् दिनांक 17.07.2022 शाम को ही एवं बीच में भी और कल शाम व्हाटसअप कॉल करके खुद के लिए एवं थानेदार जी खुश करने के लिये ओम प्रकाश जी पूनिया कानिस्टेबल थाना मंगरोप द्वारा मुझ प्रार्थी से 4000 रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है जिसे मैं नहीं देना चाहता हूँ। इस हेतु उन्हे मै श्रीमान के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ कृपया कानूनी कार्यवाही करा हमे राहत प्रदान करावे।" तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ ने जरिये दुरभाष श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो, भीलवाडा–प्रथम को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में सम्पूर्ण हालात् निवेदन किया जिस पर श्रीमान द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री गिरीराज पंवार की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजिद पुछताछ से आरोपी श्री ओम प्रकाश पुनियां पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध मामला कार्यवाही ट्रेप का पाया जाता है। नियमानुसार रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया जाना वांछित होने से इस संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मंतव्य से परिवादी को अवगत कराया तो परिवादी ने बताया कि ओमप्रकाश कानि. मुझे बार–बार फोन करके बुला रहा है, इसलिए मैं आज ही मांग सत्यापन करवा देता हूं। जिस पर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश दी गई। कार्यालय में उपस्थित श्री गजेन्द्र सिंह कानि. को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन निगरानी हेतु परिवादी के साथ श्री गजेन्द्र सिह कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर वास्ते मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। फिर करीब 05.31 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री गजेन्द्र सिंह ने जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया कि मैं व परिवादी श्री गिरीराज दोनों ही ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के आस–पास पहुँचे वहां पर परिवादी श्री गिरीराज पवांर को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द कर थाना मंगरोप के लिए रवाना किया तथा मैं पास ही खेतों में परिवादी के इंतजार में मुकिम हुआ करीब 30 मिनट के बाद परिवादी श्री गिरीराज ने चालू डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे प्रस्तुत किया, जिसे मैने लेकर बन्द किया तथा बताया कि मांग सत्यापन हो गया है परिवादी से आरोपी ओमप्रकाश कानि. ने 1500 रूपये की राशि ग्रहण कर ली है। परिवादी के आवश्यक कार्य होने से वह मंगरोप अपने आवास पर ही रूकना चाह रहा है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गिरीराज से बात की तो संक्षेप ने उन्होने भी मांग सत्यापन हो जाना अवगत कराया एवं बताया की मैने श्री ओमप्रकाश कानि. को 1500 रूपये मांग सत्यापन के दौरान दे दिये है तथा उसने कुछ पैसे कम करके 4000 मे से शेष 2500 रूपये के साथ मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत किया। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड भीलवाड़ा जिला भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री किशोर सिह कानि. को गवाह तलबी हेतु मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। फिर श्री गजेन्द्र सिंह कानि. ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने चलाकर सुना तो रिश्वत राशि के मांग सत्यापन होने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को उसी अवस्था में कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। आईन्दा परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की जायेगी। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के

हालात से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम को निवेदन किये गये। बाद में श्री किशोरसिंह कानि. जो गवाह तलबी हेतु गया हुआ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड भीलवाड़ा के द्वारा उनके पत्रांक 3215 दिनांक 21.07.2022 से स्वतन्त्र गवाह श्री मोतीधर कासनियां कनिष्ठ सहायक एवं श्री करणीदान सिंह, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 22.07.2022 को प्रातः 7.00 ए.एम. पर ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है। ब्यूरो के सम्बन्धित स्टाफ को मुनासिब हिदायत दी गई तथा भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा– द्वितीय पर पदस्थापित श्री गोपाल लाल हैड.कानि. नम्बर 65 कानि. को ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 22.07.22 को भिजवाने हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया गया। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान श्री मोतीधर कासनियां कनिष्ठ सहायक एवं श्री करणीदान सिंह कनिष्ठ सहायक उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये जिन्हे ब्यूरो कार्यालय में बिठाया गया एवं भ्र0 नि0 ब्यूरो चौकी भीलवाडा–द्वितीय से तलबशुदा श्री गोपाल लाल हैड.कानि. नम्बर 65 कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये। तत्पश्चात परिवादी श्री गिरीराज पंवार पिता अजय कुमार पंवार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि दिनांक 21.07.22 को मैं व गजेन्द्र सिंह दोनों ही ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाडा के आस–पास पहुँचे वहां पर श्री गजेन्द्र सिह कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर मंगरोप थाने के लिए रवाना किया। मैं पुलिस थाना मंगरोप के थानेदार जी के पास गया तो उन्होने मुझे भविष्य में परिवाजन से लडाई–झगडा नहीं करने की तथा शान्ति बनाये रखने के लिए कहा। उसके बाद मैं, श्री ओमप्रकाश कानि. से मिलकर उसे समझौता की लिखा–पढ़ी का स्टॉम्प दिया उसके बाद वह मुझे चाय की दुकान पर ले गया जहां मैने उन्हे कुछ पैसो की रियायत करने की कही जिस पर वह 4000 रूपये में मान गया जिसमें से 1500 रूपये मैने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दे दिये तथा शेष रिश्वत राशि 2500 रूपये बाद में देने की कहा। इसके बाद मैं रवाना होकर श्री गजेन्द्र सिंह कानि. के पास गया। जिनको मैने चालु डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसे उन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। मांग सत्यापन के हालात से श्री गजेन्द्र सिह को बताया उसके बाद आपसे भी तत्समय वार्ता कर उपरोक्त हालात से निवेदन किया गया था। श्री ओमप्रकाश कानि. को आज दी जाने वाली रिश्वत राशि दो हजार पांच सौ रूपये लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आया हूँ। परिवादी को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। फिर दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त करने पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में तलब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय आपस में कराया जाकर परिवादी श्री गिरीराज की रिपोर्ट दिनांक 21–07–22 को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने गवाहान के समक्ष शब्द–ब–शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित को उस पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है उक्त वार्ता दोनों गवाहान को सुनाई गई। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान से पुनः ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी सहमति दी। तत्पश्चात रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री ओमप्रकाश कानि. एवं परिवादी श्री गिरीराज के मध्य बातचीत हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कानि. द्वारा कनेक्ट करा वार्तालाप की एक मूल पेनड्राईव व एक डब सीडी तैयार की गयी। मूल पेनड्राईव को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सस्किप्ट श्री पवन कुमार कानि. से तैयार की जाकर मूल पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर व डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कपड़े की थेली रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डब सिडी को कागज के लिफाफे में रखवाई गई। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री गिरीराज ने अपने पास से 500–500 रूपये के पांच नोट कुल राशि 2500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर श्री देवीलाल स.प्र. अधिकारी से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी के पहने हुए पेन्ट की दांयी की जेब में रखवाये जाकर

परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मनतव्य से अवगत कराया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट अलग से मुर्तिब करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर परिवादी श्री गिरीराज पवांर को स्वयं की मोटरसाईकिल से व श्री गजेन्द्र कानि. व श्री पवन कुमार कानि. को स्वयं की मोटरसाईकिल से थाना मंगरोप की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मोतीधर कासनियां, श्री करणीदान सिंह एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., श्री गोपाल जोशी हैड. कानि., श्री किशोरसिंह कानि., मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित मय वाहन सरकारी टवेरा आरजे 14 यूसी 8904 चालक श्री हेमेन्द्र सिंह के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के लिये रवाना हुए एवं कार्यालय में श्री देवीलाल स.प्र.अधिकारी को आवश्यक हिदायत देकर छोड़ा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना शुदा थाना मंगरोप से पहले कुम्हारिया चौराहा पहुँचे जहां पर गाड़ियो को साईड में खड़ी कर परिवादी श्री गिरिराज को डीवीआर चालु–बन्द करने की विधि समझाईश कर डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेन–देन हेतु पुलिस थाना मंगरोप के लिए रवाना किया एवं स्वयं मय ट्रेप टीम रवाना हो थाने के आस–पास परिवादी के निर्धारित इशारे के ईन्तजार में मुकीम हुए। फिर परिवादी श्री गिरीराज ने मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़, को बिना निर्धारित ईशारा किये स्वतन्त्र गवाह श्री मोतीधर कासनियां, श्री करणीदान सिंह के समक्ष डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बन्द अवस्था में प्रस्तुत कर बताया कि आपके द्वारा दिये गये डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लेकर में थाने कि ओर जाने से पहले मैनें श्री ओमप्रकाश कानि. को उसके मोबाईल नम्बर पर मेरे नम्बर से व्हाटसअप कॉलिंग कि तो ओमप्रकाश ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया इस पर मैं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर श्री ओमप्रकाश कानि. से रिश्वत राशि लेन–देन व बातचीत करने के लिए थाने के बहार पहुँच कर श्री ओमप्रकाश के लिए मालुमात कि तो वहां मुझे जानने वाले एक सिपाही मिले जिन्होने मुझसे मेरे आने का कारण पूछा तो मैने उन्हे बताया कि मुझे ओमप्रकाश जी कानि. से मिलना है। मैने उन्हे फोन भी लगाया लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे है। इसलिए मैं उनसे मिलने थाने पर ही आया हूँ जिस पर उन कानि. ने स्वयं ही अपने फोन से फोन लगाकर श्री ओमप्रकाश कानि0 से बात की मेरे आने की जानकारी दी तो श्री ओमप्रकाश ने स्वयं के कार्य में व्यस्त होने की बात कहीं उसके बाद मैं थाने में नहीं गया ओर बाहर से ही बिना लेन–देन किये ही लौट आया हूँ ,मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को रास्ते में ही बन्द कर दिया था। प्रस्तुत शुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड ने चालु कर गवाहान के समक्ष सुना तो रिकॉर्डर में परिवादी की आरोपी श्री ओमप्रकाश कानि. से किसी प्रकार की रिश्वत राशि लेन–देन संबंधी वार्ता होना नहीं पाया इस पर आज रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं होने से परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाले राशि 2500 रूपये गवाह श्री मोतीधर कासनियां से परिवादी श्री गिरिराज की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से निकलवाकर सफेद कागज में रखवाकर सुरक्षित रखवाई गयी एवं परिवादी ने बताया की मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से आपके साथ पुनः ब्यूरो कार्यालय चलने में असमर्थ हूँ अतः परिवादी को आवश्यक हिदायत दे कर वही से रूखस्त किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़, मय ट्रेप टीम ब्यूरो कार्यालय पहुँचे, जहां रिश्वत राशि व ट्रेप बॉक्स को मालखाने में सुरक्षित रखवाया तथा गवाहान व हैडकानि श्री गोपाल लाल जोशी को बाद आवश्यक हिदायत रूखस्त किया। दिनांक 23–07–22 को फिर परिवादी श्री गिरीराज ने जरिये दुरभाष मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड, को बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास मेरे परिचित का फोन आया और उन्होने मुझे कहा कि आपने एसीबी में श्री ओमप्रकाश जी शिकायत क्यों की आपके लिए तो श्री ओमप्रकाश जी ने अच्छा कार्य किया है। हजार–दो हजार रूपये अगर देने पड़ जाये तो क्या फर्क पड़ता है पर इस तरह किसी की शिकायत करके उलझाना अच्छी बात नहीं है। आपको पता है, आजकल नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती हैं, जब मैने उनसे पुछा की आपको किसने कहा तो उन्होने बताया कि मुझे और एक–दो जनों से पता चला है। तब मैने उनको कहा कि मैने कोई शिकायत नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि एसीबी भीलवाड़ा से पहले भी दो ट्रेप कार्यवाही करवा रखी है उसकी जानकारी थाने के बाहर चाय की होटल वाले गोपाल को है एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन

वार्ता भी गोपाल की होटल पर ही हुई थी, शायद उसने ही श्री ओमप्रकाश कानि. को सत्यापन के बाद इस बारे में बता दिया हो इस कारण श्री ओमप्रकाश कानि. ने दिनांक 22.07.2022 को मेरा फोन रिसीव नहीं किया ओर मिलने भी नहीं आये ओर मिलने से मना भी कर दिया। इस पर परिवादी ने बताया की रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही तीन–चार दिन रूककर करना उचित रहेगा। उक्त हालात् उच्च अधिकारियों को जरिये दुरभाष निवेदन किये गये। दिनांक 26–07–2022 को परिवादी श्री गिरीराज पंवार से मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ ने जरिये दूरभाष सम्पर्क कर लम्बित ट्रेप कार्यवाही इमरोज करवाने हेतु अवगत कराया तो परिवादी ने यह बताया कि मैं दोपहर बाद कार्यालय पर उपस्थित हो जाऊंगा फिर मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ ने इमरोज ट्रेप कार्यवाही नियत होने से जरिये दूरभाष गवाहान से सम्पर्क कर उन्हें समय 03.00 पीएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कराया। तत्पश्चात पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मोतिधर कासनियां व श्री करणीदान सिह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। फिर परिवादी श्री गिरीराज पंवार ने कार्यालय में उपस्थित होकर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ को अवगत कराया कि कार्यालय हाजा पर आने से पहले मैंने गोपनीय रूप से पुलिस थाना मंगरोप के सिपाही श्री ओमप्रकाश के बारे में जानकारी की तो मुझे पता चला की एक–दो दिन से उक्त कानि. थाने पर नहीं है। मुझे यह आशंका है कि श्री ओमप्रकाश को भनक है कि मैंने उसकी शिकायात भ्र.नि.ब्यूरो में कर दी है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमें तुरन्त ही रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही नहीं करके कुछ दिन इन्तजार करना चाहिए यदि तुरन्त यह कार्यवाही की गई तो मुझसे शायद श्री ओमप्रकाश कानि. रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। तत्पश्चात परिवादी श्री गिरीराज पंवार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही का आयोजन सम्भव नहीं होने से परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत करते हुए जाय तैनात रूकसत किया। आईन्दा ट्रेप कार्यवाही आयोजन किया जायेगा। दिनांक 01–08–2022 को परिवादी श्री गिरीराज पंवार से मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड ने जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आज ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में अवगत कराया तो परिवादी ने यह बताया कि मैं दोपहर बाद कार्यालय पर उपस्थित हो जाऊंगा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड ने जरिये दूरभाष गवाहान से सम्पर्क कर उन्हें समय 03.00 पीएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कराया। फिर पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मोतिधर कासनियां व श्री करणीदान सिह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। फिर परिवादी श्री गिरीराज पंवार ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ को लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ब्यूरो कार्यालय पर आने से पूर्व मैंने मंगरोप थाने में जानकारी की तो अब तक भी श्री ओमप्रकाश कानि. थाने पर ड्यूटी नहीं कर रहे है और एक–दो जगह से मुझे यह भी जानकारी हुई है कि क्योंकि मैंने पहले भी मेरे से रिश्वत राशि मांग करने पर ट्रेप कार्यवाही करवा रखी है तो इस आशंका से कि मैने उसकी भी शिकायत कर दी है वह कई दिनों से थाने पर नहीं है, अब मुझे लगता है कि उक्त कानि. को ट्रेप का अन्देशा होने से ही उसने पहले भी मेरे से मिलने से मना कर दिया था एवं शेष रिश्वत राशि के लिए आजतक मुझसे सम्पर्क नहीं किया है। अब ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः आप आज तक की कार्यवाही से उक्त कानि. के विरूद्व जो अपराध बनता है उस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। एवं मेरी रिश्वत राशि के रूप में ब्यूरो कार्यालय पर रखें 2500 रूपये भी मुझे लौटाने का श्रम करें। परिवादी श्री गिरीराज पंवार द्वारा अवगत कराये जाने के फलस्वरूप अब श्री ओमप्रकाश जाट कानि नम्बर 215 पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः गवाहान एवं परिवादी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी श्री गिरिराज पवांर व आरोपी श्री ओमप्रकाश कानि. पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के मध्य दिनांक 21.07.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड (सेनडिस्क 16 जीबी) को सफेद कागज में लपेटकर कागज के लिफाफे में रखकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील चिट कर मार्क "M" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिये। फिर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास सील का अवलोकन करवाकर फर्द पर नमूना सील अंकित की गई उपयोग में ली गई ब्रास सील का कार्यालय हाजा के परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाकर नष्ट की गई। फर्द

नाशानी सील पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के मालखाना से परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि कुल 2500 रूपये को निकलवाकर उक्त राशि पर फिनोप्थलीन पाउडण्र लगा होने से उक्त नोटो को बदलवाकर परिवादी को उक्त 2500 रूपये की रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण के परिवादी व गवाहान को बाद कार्यवाही उचित हिदायत देकर रवाना किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने जप्त शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना इन्चार्ज के सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखवाया।

प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही में परिवादी श्री गिरिराज पंवार से आरोपी श्री ओमप्रकाश कानि. पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाडा द्वारा परिवादी श्री गिरिराज पंवार के विरूद्व पुलिस थाना मंगरोप पर दर्ज परिवाद में कार्यवाही करने व समझौता करवाने हेतु कुल 4000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 21.06.2022 को हुए मांग सत्यापन वार्ता के द्वौरान 1500 रूपये ग्रहण कर शेष 2500 रूपये पृथक से लेना तय करना तत्पश्चात एसीबी कार्यवाही की भनक लगने के पश्चात परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु नही मिलने से तथा परिवादी से पुनः सम्पर्क नहीं करने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी।

इस प्रकार अब तक की गई कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री ओमप्रकाश पिता श्री नानुराम जाट निवासी ढाणी कालेरान थाना बिदासर जिला चुरू कानि नम्बर 215 पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री गिरिराज पंवार के विरूद्व पुलिस थाना मंगरोप पर दर्ज परिवाद में कार्यवाही करने व समझौता करवाने हेतु कुल 4000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 21.06.2022 को हुए मांग सत्यापन वार्ता के द्वौरान 1500 रूपये ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री ओमप्रकाश नम्बर 215 पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7, पी. सी.एक्ट (संशोधित) 2018 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित है।

भवदीया,

(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा–प्रथम।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती दीपिका राठौड़, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नानुराम जाट, कानि. नम्बर 215, पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 345/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3002-06 दिनांक 2.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

2.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।